रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222742
CG-DL-E-26102020-222742

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3376] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2020/कार्तिक 4, 1942
No. 3376] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/KARTIKA 4, 1942

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2020

का. आ. 3805(अ).—केन्द्रीय सरकार जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) दूसरा आदेश, 2020 है।

(2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे यह भारत राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. तत्काल प्रभाव से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किए जाते हैं, उक्त अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इस प्रकार निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में, कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा वहां, यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं विर्निष्ट शब्द उस धारा या उसके भाग में आते हैं, किया जाएगा।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि का अनुकूलन करते हैं, या उसका उपांतरण करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्तूबर, 2019 से पहले सम्यक रूप से जारी की गई किसी अधिसूचना, किए गए आदेश, की गई प्रतिबद्धता, कुर्की, बनाई गई उपविधि, बनाए गए नियम या विनियम को या सम्यक रूप से की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, वैसे ही विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानों वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो।

6. (1) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विधि का निरसन या संशोधन —

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रुप से की गई या सहन की गई किसी बात को;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को;

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित या जारी नहीं किया गया हो ।

(2) उप पैरा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी विधि के अधीन की गई कोई बात या किसी कार्रवाई को (जिसके अंतर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित प्रारूप, उप-विधि या स्कीम, अभिप्राप्त प्रमाण पत्र, दिया गया परमिट या अनुज्ञप्ति या किया गया रजिस्ट्रीकरण या निष्पादित करार भी है) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अब विस्तारित और लागू केन्द्रीय विधियों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक अब लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर विस्तारित केन्द्रीय विधियों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है।

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

केन्द्रीय विधि

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860

(1860 का 21)

IndiaCode

(क) उद्देशिका के पश्चात तथा विद्यमान धारा 1 से पहले निम्नलिखित अंत:स्थापित करें –

सोसाइटियों के रजिस्ट्रार की नियुक्ति आदि

"1. (1)लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, अधिसूचना द्वारा, किसी सोसाइटी रजिस्ट्रार के नाम से ज्ञात किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उसे प्रदान किए जाएं और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य अथवा विशेष आदेश के अध्यधीन प्रशासन का अधीक्षण करेगा तथा संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करेगा" ;

"(2) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, अधिसूचना द्वारा, एक या एक से अधिक अपर रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकेगा जिनकी अधिकारिता वह होगी जो उन्हें समनुदेशित की जाए।

(3) इस प्रकार नियुक्त किए गए अपर रजिस्ट्रार, सोसाइटी रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अधीन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सोसाइटी रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उस निमित्त प्राधिकृत करे ";

(ख) विद्यमान धारा 1 को धारा 1(क) के रूप में संख्यांकित करें और इस प्रकार संख्यांकित की गई इस धारा में "संयुक्त–स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "सोसाइटी के रजिस्ट्रार" शब्द रखें।

धारा 3.- "रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर "सोसाइटी के रजिस्ट्रार" शब्द रखें।

धारा 4. - "संयुक्त-स्टॉक कंपनियों के रिजस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "सोसाइटी के रजिस्ट्रार" शब्द रखें।

नई धाराओं का अंत:स्थापन -

धारा 4 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित करें:—

धारा 4 और नियमों में उल्लिखित सूची में किए गए परिवर्तनों को फाइल करें

"4क. (1) धारा 4 के उपबंधों तथा उक्त धारा के अंतर्गत फाइल की गई सूची में, उस वर्ष के दौरान जिस वर्ष से यह सूची संबंधित है, कार्मिकों में परिवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे परिवर्तनों के दो मास के भीतर सोसायटी के रजिस्ट्रार को सूचित किया जाएगा।

(2) सोसाइटी के नियमों और विनियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति, जो शासी निकाय के कम से कम तीन, यथास्थिति, गवर्नरों, निदेशकों या सदस्यों, द्वारा शुद्ध प्रति के रूप में प्रमाणित हो, ऐसे परिवर्तन के दो मास के भीतर सोसाइटी के रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।

व्यक्ति जिनके द्वारा सूचियां आदि भेजी जानी हैं

4ख. निम्नलिखित का यह दायित्व होगा कि—

(क) यथास्थिति, चैयरमेन, अध्यक्ष, सचिव अथवा सोसाइटी के नियमों और विनियमों अथवा सोसाइटी के शासी निकाय के संकल्प द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति; अथवा

(ख) शासी निकाय का चैयरमेन अथवा अध्यक्ष, जहां कोई प्राधिकृत नहीं किया गया हो

धारा 4 में उल्लिखित सूची को फाइल करना अथवा सूचना, धारा 4क में उल्लिखित प्रति, यथास्थिति सोसाइटी के रजिस्ट्रार को भेजना।

अपराध

4ग. (1) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके द्वारा पूर्ववर्ती धारा के अधीन ऐसा करना अपेक्षित है, बिना किसी उचित कारण के इसके उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो

IndiaCode

दोषसिद्धि पर वह जुर्माने, जो एक हजार रु. तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर धारा 4 के अधीन फाइल की गई सूची में अथवा धारा 4क के अधीन सोसाइटी के रजिस्ट्रार को भेजे गए किसी विवरण अथवा नियमों और विनियमों की प्रति में कोई गलत प्रविष्टि अथवा परिवर्तन करता है अथवा किसी चीज का लोप करता है अथवा करवाता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने, जो पांच हजार रु. तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा''।

धारा 12.- (i) "अन्य किसी सोसाइटी'' शब्दोंके पश्चात "जब कभी ऐसी किसी सोसाइटी का शासी निकाय सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करने का निर्णय करे'' शब्द अंत:स्थापित करें; और

(ii) "औपचारिक बैठक'' शब्दों के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित करें—

"परंतु यह कि समामेलन के किसी प्रस्ताव को तब तक प्रभावी नहीं बनाया जाएगा जब तक कि इस पर इस धारा में विहित रीति में संबंधित सभी सोसाइटियों द्वारा विचार नहीं किया गया हो, इसे स्वीकार नहीं किया गया हो और इसकी पुष्टि नहीं की गई"

नई धाराओं का अंत:स्थापन -

धारा 12 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित करें –

नाम परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण करना

"12क.(1) जहां नाम परिवर्तन के किसी प्रस्ताव को धारा 12 द्वारा विहित रीति में स्वीकार किया गया हो और इसकी पुष्टि की गई हो तो इस प्रकार स्वीकार किए गए और पुष्टि किए गए प्रस्ताव की एक प्रति नाम परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाएगी और यदि नाम में प्रस्तावित परिवर्तन उनकी राय में धारा 3(क) में उल्लिखित किसी कारण से अवांछनीय हो तो रजिस्ट्रार नाम परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देगा।

(2) उप-धारा (1) में उपबंधित किए गए सिवाय, यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि नाम परिवर्तन के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया गया है तो वह नाम परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करेगा और मामले की परिस्थितियों के अनुरूप एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद नाम परिवर्तन पूरा होगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जारी किए गए प्रमाण पत्र की किसी प्रति के लिए रजिस्ट्रार पांच सौ रु. की फीस वसूल करेगा तथा इस प्रकार अदा की गई फीस को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में जमा कराया जाएगा।

(4) यदि असावधानीवश अथवा अन्यथा किसी सोसाइटी को ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत किया गया है जिस नाम से उसे रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए (धारा 3क के उपबंधों पर सम्यक ध्यान दिया जाना चाहिए), तो संबंधित पक्ष को सुनने के पश्चात रजिस्ट्रार सोसाइटी को नाम बदलने का निदेश दे सकेगा; और सोसाइटी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निदेश की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अथवा ऐसी अधिक अवधि के भीतर जो रजिस्ट्रार प्रदान करना उचित समझे, के भीतर अपने नाम में परिवर्तन करेगी।

नाम परिवर्तन का प्रभाव

12ख. सोसाइटी के नाम में परिवर्तन से सोसाइटी के अधिकार अथवा इसके कर्तव्य प्रभावित नहीं होंगे अथवा सोसाइटी द्वारा अथवा इसके विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई निष्प्रभावी नहीं होगी तथा कोई विधिक कार्रवाई जो इसके पूर्ववर्ती नाम से इसके द्वारा अथवा इसके विरुद्ध जारी रखी गई होती अथवा शुरू की गई होती इसके नए नाम से इसके द्वारा अथवा इसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी अथवा आरंभ की जा सकेगी।

लेखों का रखरखाव तथा उनका संतुलन और लेखाकरण

12ग.(1) प्रत्येक शासी निकाय, जिसको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के काम-काज का प्रबंधन सौंपा जाए, नियमित लेखे रखेगी।

(2) ऐसे लेखे ऐसे रूप में रखे जाएंगे जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किए जाएं तथा उनमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं।

(3) इन लेखों का प्रतिवर्ष 31 मार्च को अथवा उस तारीख को, जो रजिस्ट्रार द्वारा नियत की जाए, संतुलन किया जाएगा।

(4) इन लेखों की वार्षिक रूप से नियमों द्वारा विहित रीति में तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो चार्टड अकाउंटेंट् अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत चार्टटेड अकाउंटेंट हो अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए जाएं, लेखापरीक्षा की जाएगी।

तुलन पत्र तैयार करने और अनियमितताओं की सूचना देने का लेखापरीक्षक का कर्तव्य

12घ. (1) धारा 12ग के अधीन किसी सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा करने वाले प्रत्येक लेखापरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह तुलन पत्र तथा आय और व्यय का लेखा-जोखा तैयार करे और इसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजे।

(2) लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट में अनियमित, अवैध अथवा अनुचित व्यय अथ्वा धनराशि को वसूल करने में असफल रहने अथवा लोप करने के सभी मामलों अथवा सोसाइटी से संबंधित अन्य किसी संपत्ति अथवा हानि अथवा धन के अपव्यय अथवा उसकी अन्य संपत्ति का उल्लेख करेगा तथा इस बात का भी उल्लेख करेगा कि क्या इस प्रकार का व्यय, असफलता, लोप, हानि अथवा अपव्यय, न्यास भंग अथवा दुरुपयोग तथा शासी निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के अन्य किसी गलत आचरण के कारण हुआ है".

धारा 18.- "संयुक्त-स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "सोसाइटी के रजिस्ट्रार" शब्द रखें"

धारा 19.- "रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर "सोसाइटी के रजिस्ट्रार" शब्द रखें।

[फा. सं.11012/21/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

ORDER

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3805(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act,2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Administration of the Union territory of Ladakh, namely: –

1. (1) This Order may be called the Union Territory of Ladakh Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Second Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st day of October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances, as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

(a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed or issued.

(2) Subject to the provisions of sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, form, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Central Laws now extended and applicable to the Union territory of Ladakh and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Central Laws now extended to the Administration of the Union territory of Ladakh.

THE SCHEDULE
(See paragraph 3)

CENTRAL LAW

THE SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860
(21 of 1860)

(a) after the preamble and before the existing section 1, insert –

Appointment, etc. of Registrar of Societies, etc.

"1. (1) The Administration of Union territory of Ladakh may, by notification, appoint a person to be called the Registrar of Societies and he shall exercise such powers and perform such duties and functions as are conferred by or under the provisions of this Act, and shall subject to such general or special order as the Administration of the Union territory of Ladakh may from time to time make, superintend the administration and carry out the provisions of this Act throughout

the Union territory of Ladakh." ;

"(2) The Administration of the Union territory of Ladakh may by notification, appoint one or more Additional Registrars with such local jurisdiction as may be assigned to them.

(3) The Additional Registrars so appointed shall, subject to the control of the Registrar of Societies, exercise such of the powers and perform such of the functions of the Registrar of Societies as the Administration of the Union territory of Ladakh may authorise in that behalf.";

(b) number the existing section 1 as section 1A and in this section as so numbered, for "Registrar of Joint-Stock Companies" substitute "Registrar of Societies".

Section 3.- For "Registrar", substitute "Registrar of Societies.".

Section 4. - For "Registrar of Joint-Stock Companies", substitute "Registrar of Societies".

Insertion of new sections –

After section 4, insert the following sections, namely:—

Changes in list mentioned in section 4 and rules to be filed.

"4A. (1) Without prejudice to the provisions of section 4 and change in personnel on the list filed under said section occurring during the year to which such list relates shall be intimated to the Registrar of Societies within two months of the making of such changes.

(2) A copy of every alteration made in the rules and regulation of the society, certified to be a correct copy by not less than three of the Governors, Directors or members of governing body, as the case may be, shall be sent to the Registrar of Societies within two months of such alteration.

Persons by whom lists, etc., are to be sent.

4B. It shall be the duty—

(a) of the Chairman or, as the case may be, the President, the Secretary or any other person authorised in that behalf by the rules and regulations of the society or by a resolution of the governing body of the society; or

(b) of the Chairman, or as the case may be, the President of the governing body of the society where there is no such authorisation,

to file the list mentioned in section 4 or to send the intimation, or as the case may be, the copy mentioned in section 4A to the Registrar of Societies.

Offence.

4C. (1) If any person who is required so to do under the preceding section fails without reasonable cause to comply with the provisions thereof, he shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

(2) If any person wilfully makes or causes to be made any false entry or alteration in, or any omission from, the list filed under section 4 or any statement or copy of rules and regulations sent to the Registrar of Societies under section 4A, he shall on, conviction, be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.".

Section 12.- (i) after "any other society", insert "or whenever the governing body of any such society decides to change the name of the society"; and

(ii) after the words " after the formal meeting" insert —

"Provided that no proposition for amalgamation shall be carried into effect unless it has been considered, agreed to and confirmed by all concerned societies in the manner prescribed in this section.".

Insertion of new sections –

After section 12, insert –

Registration of change of name.

"12A. (1) Where a proposition for change of name has been agreed to and confirmed in the manner prescribed by section 12, a copy of the proposition so agreed to and confirmed shall be forwarded to the Registrar for registering the change of name and if the proposed change in the name is in his opinion undesirable for any of the reasons mentioned in section 3A, the Registrar shall refuse to register the change of name.

(2) Save as provided in sub-section (1), the Registrar shall, if he is satisfied that the provisions of this Act in respect of change of name have been complied with, register the change of name and issue a certificate of registration altered to meet the circumstances of the case, and on the issue of such a certificate the change of name shall be complete.

(3) The Registrar shall charge for any copy of a certificate issued under sub-section (2), a fee of rupee five hundred and all fees so paid shall be accounted for to the Administration of the Union territory of Ladakh.

(4) If, through inadvertence or otherwise, a society is registered by a name which should not have been registered (due regard being had to the provisions of section 3A), the Registrar may, after hearing the party concerned direct the society to change the name; and the society shall change its name within a period of three months from the date of the direction in accordance with the provisions of this Act, or such longer period as the Registrar may think fit to allow.

Effect of change of name.

12B. The change in the name of society shall not affect any rights or obligations of the society or render defective any legal proceeding by or against the society and any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by or against it by its new name.

Maintenance of accounts and their balancing and accounting.

12C.(1) Every governing body entrusted with the management of the affairs of a society registered under this Act shall keep regular accounts.

(2) Such accounts shall be kept in such form as may be approved by the Registrar, and shall contain such particulars as may be prescribed by rules.

(3) The accounts shall be balanced each year on the 31st day of March or such other day as may be fixed by the Registrar.

(4) The accounts shall be audited annually in such manner as may be prescribed by rules and by a person who is a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), or by such persons as may be authorised in this behalf by the Administration of the Union territory of Ladakh.

Auditor's duty to prepare balance sheet and report irregularities, etc.

12D. (1) It shall be the duty of every auditor auditing the accounts of a society under section 12C to prepare balance-sheet and income and expenditure account and to forward a copy of the same to the Registrar.

(2) The auditor shall in his report specify all cases of irregular, illegal or improper expenditure or failure or omission to recover money or other property belonging to the society or of loss or waste of money or other property thereof, and state whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in consequence of branch of trust or misapplication or any other misconduct on the part of the governing body or any other person.".

Section 18.- For "Registrar of Joint-Stock Companies", substitute "Registrar of Societies".

Section 19.- For "Registrar", substitute "Registrar of Societies".

[F. No. 11012/21/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.